न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3817–एक / 12 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.3.12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 1272 / अपील / 06–07.

1– श्यामलाल पटेल पिता श्री जमुना पटेल
2– पारसनाथ पटेल पिता श्यामलाल पटेल
निवासी कस्परी थाना कमर्जी तह. चुरहट
जिला सीधी म.प्र. ----- आवेदकगण

विरूद्ध

1– यतेन्द्र कुमार पटेल तनय श्री रामनरेश पटेल
2– शुभम कुमार पिता श्री लाल बहादुर पटेल
नावालिक जरिये बली पि लालबहादुर पटेल
पिता श्री रामेश्वर प्रसाद पटेल
दोनों निवासी कस्परी थाना कमर्जी तह. चुरहट
जिला सीधी म.प्र. ----- अनावेदकगण

श्री अनूपदेव पाण्डेय, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री बृजेश तिवारी, अधिवक्ता, अनावेदकगण.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04 अगस्त 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1272 / अपील / 06–07 में पारित आदेश दिनांक 27–3–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 2 द्वारा आवेदक कमांक 1 के विरूद्ध दिनांक 19–7–2001 को विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 178 / 110 के तहत इस आशय का आवेदन पेश किया कि आवेदक कमांक 1 ने उन्हें विवादित भूमि आपसी हिस्सा बांट में देकर कब्जा दखल दे दिया है अतः बटवारा नामांतरण उसके पक्ष में स्वीकार किया जाये । उक्त आवेदन पर नायब तहसीलदार ने

दिनांक 19–7–01 को प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार जारी करने एवं पटवारी हल्का को फर्द बटवारा पुल्ली पेश करने के आदेश दिये । किंतु प्रकरण में ना तो इश्तहारक ा प्रकाशन किया गया और ना ही पटवारी से फर्द बटवारा पुल्ली प्राप्त की गई एवं दिनांक 10–9–01 को यह उल्लेख करते हुए कि आवेदक कमांक 2 द्वारा सहमति का जबाव पेश किया जो प्रकरण संलग्न है । प्रकरण आदेश हेतु रखा गया तथा दिनांक 3–10–2001 को आदेश पारित करते हुए आवेदक कमांक 2 का बटवारा नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की जिसमें उन्होंने दिनांक 4–4–2007 को आदेश पारित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत विरूद्ध तरीके से तथा आवेदक कमांक 1 की सहमति न होते हुए बटवारा पारित किया गया है और उसे निरस्त करने हेतु स्वयं आवेदक कमांक 2 ने सहमति दी है । उक्त आधार पर उन्होंने विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने आवेदक कमांक 1 द्वारा दिनांक 19–7–01 को विचारण न्यायालय में किए गए अनुरोध का उल्लेख करते हुए अपील स्वीकार की एवं एस.डी.ओ. का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– प्रकरण में सुनवाई दिनांक 13–5–14 को उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को 10 दिवस में लिखित बहस पेश करने हेतु निर्देश दिए गए थे किंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4– अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि के बटवारे से संबंधित है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई वह संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के पूर्णतयाः विपरीत होकर अवैधानिक है । प्रकरण में ना तो इश्तहार का प्रकाशन किया गया है और ना ही पटवारी से फर्द पुल्ली प्राप्त की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का जो आदेश दिया है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है । अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदक कमांक 1 के द्वारा विचारण न्यायालय में दिनांक 19–7–01 को प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नांमातरण आवेदक कमांक 2 के पक्ष में किए

जाने का स्वयं अनुरोध किया गया है । इस संबंध में विचारण न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में बटवारा हेतु आवेदन दिनांक 19–7–01 को प्रस्तुत हुआ है और उसी दिन आदेश पत्रिका लिखी गई है जिसमें सहमति का जबाव पेश किये जाने का उल्लेख किया है । दिनांक 19–7–01 को आवेदक कमांक 1 बिना सूचना के कैसे उपस्थित हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं है । आवेदक कमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं आवेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत जबाव के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन एवं जबाव एक ही व्यक्ति ही हस्तलिपि से लिखे गये हैं । उक्त स्थिति को अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होते हुए भी अपर आयुक्त ने उक्त आदेश को निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । अतः अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–3–12 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–4–07 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर